न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी–ओमप्रकाश वर्मा,आर.ए.एस.
राजस्वप्रार्थना–पत्र संख्या–31/2021
आदेश दिनांक : 30.04.2025
जी.सी.एम.एस. : 2021/48

पीथाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी बिलंगा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सुजानगढ जिला चूरू
2. रामदेवाराम पुत्र नराणाराम जाति जाट निवासी खोखरी तह. लाडनूं जिला नागौर
3. हरजीराम पुत्र दुरजाराम जाति जाट निवासी बिलंगा तहसील सुजानगढ जिला चूरू
4. बीजूसिंह पुत्र सांवतसिह जाति राजपूत निवसी बिलंगा तहसील सुजानगढ जिला चूरू
5. रतनाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी बिलंगा तहसील सुजानगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित:–

1. श्री रमेश कुमार बिस्सु एडवोकेट प्रार्थी।
2. श्री मोहनलाल बिस्सु एड.अप्रार्थी संख्या 05।
3. अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
4. अप्रार्थी संख्या 01 पेरोकार राज. राज्य पक्ष की ओर से।

–: आदेश :–

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी के खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग का खेत खसरा संख्या 376/367 तादादी 7.9410 हैक्टेयर वाके राही मालकसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू में स्थित है।

यह कि यह कि प्रार्थी के उपरोक्त खेत पर प्रार्थी का कब्जा, काश्त, अधिकार साधिकारपूर्वक शांतिपूर्वक कायम है व चारों तरफ पुख्ता सीमायें कायम नहीं होने के कारण आये दिन भूमि के सीमाकन को लेकर विवाद होता है जिससे प्रार्थी को भूमि की सुरक्षा करने में भारी असुविधा होती है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि के लिये स्थाई समाधान करने के लिए स्थाई रूप से सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है।

यह है कि प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि कब्जा अधिकार की होने से व पत्थरगढ़ी होने से सीमा बाबत् भविष्य में हमेशा के लिये विवाद खत्म हो जायेंगे, प्रार्थी की खातेदारी भूमि खेत खसरा न. 376/367 तादादी 7.9410 हैक्टेयर भूमि वाके रोही मालकसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की पत्थरगढी करने के पुख्ता निशान कायम करवाये जावे, खर्चा प्रार्थी के द्वारा वहन किया जायेगा।

यह कि प्रार्थी अपने खातेदारी होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने की कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी अपने खेतों की पुख्ता सीमा कायम करवाने व पत्थरगढी के आदेश करवाने का खातेदार कृषक होने के कारण अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में भूमि की किमतों में वृद्धि होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा करने के लिये उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हो गया है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार से वाद की बहुलता न बढ़े व न ही प्रार्थी की भूमि पर गैर खातेदार या कोई पड़ोसी सीमाओं में परिवर्तन करें।

यह कि अप्रार्थी संख्या 2 रामदेवाराम पुत्र नराणाराम जाति जाट निवासी खोखरी तहसील लाडनूं जिला नागौर खातेदार खसरा नं. 433/430, 432/430 का एवं अप्रार्थी संख्या 3 हरजीराम पुत्र दुरजाराम जाति जाट निवासी बिलंगा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू खातेदार खसरा नं. 431/189 का एवं अप्रार्थी संख्या 4 बीजुसिंह पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी बिलंगा तहसील सुजानगढ जिला चूरू खातेदार खसरा नं. 375/367 का एवं अप्रार्थी संख्या 5 रतनाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी बिलंगा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू खातेदार खसरा नं. 368/188 एवं 365/187 के खातेदार कृषक है जो कि प्रार्थी के खातेदारी खेत की चिपते सीमा के पडोसी है। जिनकी सीमायें प्रार्थी के खेत के लगती है जिनको कानूनी आपतियों को ध्यान में रखकर अप्रार्थीगण के रूप में संयोजित किया गया है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

यह प्रार्थी हर प्रकार से भविष्य में होने वाले विवादों के निपटारे के लिये सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। उपरोक्त भूमि सीमाज्ञान के क्षेत्राधिकार व अधिकारिता में स्थित है।

प्रार्थना पत्र सुनवाई का इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व अधिकारिता में होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खेत खसरा संख्या 376/367 तादादी 7.9410 हैक्टेयर रोही मालकसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की पैमाइश हल्का पटवारी से करवाई जाकर प्रार्थी के खेत की सीमा जहां कायम होती है वहां पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुख्ता सीमाज्ञान के निशानात कायम करवाये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 की विधिवत तामील होने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया व अप्रार्थी संख्या 05 को बार–बार अवसर देने के बावजूद उनकी ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 05 का जवाब बंद किया गया व अप्रार्थी संख्या 01 पैरोकार राज ने प्रकरण में राजकीय पक्ष प्रभावित नहीं होने से कोई आपति नही होने का अंकन किया।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने वादगत खेत की पैमाइश करवाई जाकर भूमि की सीमा जहां कायम होती है वहां पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुख्ता सीमाज्ञान के निशानात कायम करवाये जाने का कथन किया।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। सुसगंत विधि का अध्ययन किया गया। चूंकि पक्षकारान के मध्य सीमा को लेकर विवाद है तथा प्रार्थीगण अपनी खातेदारी व कब्जा–काश्त की भूमि का सींमाकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारीणी है, जिसका उसको कानूनन अधिकार प्राप्त है।ऐसी स्थिति में न्यायालय प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 376/367 रोही ग्राम बिलगा (मालकसर) तहसील सुजानगढ़ की भूमि का नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर नियमानुसार पैमाइश करवाई जाकर भूमि की सीमा जहां कायम होती है वहां पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुख्ता सीमाज्ञान के निशानात कायम करवाया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हो।

आदेश-दिनांक 20/06/25 से संशोधन किया गया।

यह आदेश आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू

(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)